# संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश

(भूतल "डी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail: jdayush.mp@mp.gov.in

Office(0755) 2763044
Fax - (0755) 2760225


क्रमांक / एफ–104 / 4–आयुष शिक्षा / 2022 / २७२० भोपाल, दिनांक 05 / 05 / 2022

## आयुष स्नातक काउंसलिंग–2021
## पांचवा चरण (मापअप–III) हेतु
## ::सामान्य दिशा निर्देश::

1. आयुष स्नातक काउंसलिंग–2021 का पांचवां चरण (मापअप–III) दिनांक 02 / 05 / 2022 से प्रारंभ होकर दिनांक 07.05.2022 को पूर्ण होगा।
2. दिनांक 02 / 05 / 2022 को आयुष स्नातक काउंसलिंग–2021 के पांचवा चरण में सम्मिलित होने वाले महाविद्यालयों की रिक्त सीटों की स्थिति तथा स्नातक प्रवेश नियम अनुसार मापअप–III चरण हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर प्रदर्शित की जा चुकी है।
3. काउंसलिंग का यह चरण रीयल टाईम रिपोर्टिंग पर आधारित है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा जिन महाविद्यालयों को च्वाईस किया गया है, उन महाविद्यालयों में अभ्यर्थी की मेरिट का स्थान क्या है, दिनांक 06 / 05 / 2022 को एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर प्रदर्शित किया जावेगा।
4. दिनांक 07 / 05 / 2022 को प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अभ्यर्थी को महाविद्यालय में संचालनालय आयुष द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के समक्ष उपस्थित होकर अपनी उपथिति दर्ज करानी होगी तथा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर, दिनांक एवं समय अंकित करना होगा।
5. दिनांक 07 / 05 / 2022 को दोपहर 01:00 बजे तक महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों की रीयल टाईम मेरिट सूची पर्यवेक्षक द्वारा तैयार की जाकर दोपहर 02:00 बजे तक अनिवार्य रूप से महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी।
6. यदि कोई अभ्यर्थी दिनांक 07.05.2022 को दोपहर 01:00 बजे के पश्चात रिपोर्ट करता है तो मेरिट सूची में उसका नाम रियल टाईम रिपोर्टिंग मेरिट में निचले क्रम पर जोडा जावेगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को 01:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के उपरांत ही सीट रिक्त रहने पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
7. निर्धारित समयावधी में महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। निर्धारित समयावधि उपरांत रिपोर्ट करने पर रीयल टाईम मेरिट सूची में उसे निचले क्रम पर रखा जावेगा तथा इस संबंध में अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नही होगा।
8. दिनांक 07 / 05 / 2022 को दोपहर 03:00 बजे से मेरिट अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी को प्रवेश समिति के समक्ष समस्त मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मूल दस्तावेज प्रस्तुत नही करने की स्थिति में अभ्यर्थी को प्रवेश नही दिया जावेगा जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इस संबंध में उसका कोई दावा मान्य नही होगा।
9. प्रवेश के समय महाविद्यालय की निर्धारित फीस का भुगतान अभ्यर्थी को नियम अनुसार करना होगा।
10. प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से होगी जिसके लिए अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
11. अभ्यर्थी एक से अधिक महाविद्यालयों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उक्त महाविद्यालयों की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त कर सकता किन्तु अभ्यर्थी को प्रवेश किसी एक महाविद्यालय में एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से ही प्रदान किया जावेगा।
12. शासकीय / स्वशासी आयुष महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही प्रधानाचार्य / मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

05/05/22

(डॉ.एम. फारूक)
उप संचालक
संचालनालय आयुष म0प्र0

# संचालनालय आयुष, म0प्र0

(भू–तल "डी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail:jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

दिनांकः 05/05/2022

## पांचवा चरण मॉप–अप - III काउंसिलिंग हेतु पर्यवेक्षकों के लिये निर्देश

1. पर्यवेक्षक को दिनांक 07/05/2022 को प्रातः 09:00 बजे संबंधित महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है।

2. सर्वप्रथम पॉचवा चरण (मॉप–अप–III) में एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित महाविद्यालय की की सूची प्राप्त करेंगे।

3. पर्यवेक्षक उपरोक्त पत्रक/सूची अंतिम कॉलम पश्चात् 03 नवीन कॉलम दर्ज कर उसमें हस्ताक्षर, दिनांक एवं समय अंकित करेंगें। तदोपरांत सूची का प्रिंट लेकर उक्त सूची पर दिनांक 07/05/2022 प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक महाविद्यालय में उपस्थित होने वाले अभ्यार्थियों से सूची में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कराकर उपस्थिति दर्ज करायेंगे।

4. पर्यवेक्षक निर्धारित समयवाधि में उपस्थित छात्रों की मेरिट सूची तैयार करेंगें तथा दिनांक 07/05/2022 को दोपहर 02:00 बजे महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे तथा संचालनालय आयुष की ई–मेल आईडी jdayush@mp.gov.in एवं अधोस्ताक्षरकर्ता की ईमेल आईडी drfarooquemd31@gmail.com पर उपलब्ध कराई जावे।

5. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित रिपोर्टिंग समय की समाप्ति के उपरान्त महाविद्यालय में उपस्थित होता है तो दोपहर 02:00 बजे तक तैयार सूची में उसका नाम सबसे नीचे जोड़ा जायेगा तथा ऐसे अभ्यिर्थियों को 02:00 बजे तक उपस्थित हुऐ अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के उपरांत ही सीट रिक्त रहने पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

6. संबंधित महाविद्यालय की रिक्त सीटों की जानकारी एम0पी0 ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध है।

7. दिनांक 07/05/2022 को दोपहर 03:00 बजे से मेरिट सूची अनुसार छात्रों को नियमानुसार ऑनलाइन प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8. उपरोक्त आवंटन सूची के अभ्यर्थी यदि सांय 06:00 बजे तक प्रवेश नहीं प्राप्त करते हैं, तो पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश प्राप्त करना नहीं चाहता है, तदोपरांत मेरिट सूची से अगले अभ्यर्थी को नियमानुसार सीट आवंटित करते हुए प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

9. एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित सूची में हरा रंग (Green Colour) प्रदर्शित अभ्यार्थियों को ही मैरिट सूची अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

10. बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता प्रवेश नियम 6.1 अनुसार होगी।

11. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 30/03/2022 अनुसार अभ्यार्थी पात्रताधारी रहेंगें।

12. प्रवेश प्रक्रिया हेतु पोर्टल दिनांक 07/05/2022 को रात्रि 11:59 बजे तक खुला रहेगा। अतः प्रवेश की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में संपन्न कराना सुनिश्चित किया जावें।

13. पर्यवेक्षक समस्त काउंसिलिंग कार्यवाही नियमानुसार अपनी देखरेख में संपादित कराना सुनिश्चित करें तथा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत रिपोर्ट आयुक्त, संचालनालय आयुष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

05/05/22

14. शासकीय स्वशासी आयुष महाविद्यालयों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

15. उपरोक्त निर्देशों का पालन न किये जाने अथवा प्रवेश प्रकिया में यदि कोई गड़बडी पाये जाने की स्थिति में पर्यवेक्षक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

16. किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर **डॉ0 उमेश शुक्ला, नोडल अधिकारी काउंसिलिंग मो0 नं0 9425373046, 9981027945, डॉ0 एम0 फारूक, उप संचालक मो0–7828550208 एवं 7000900629 डॉ0 अरविंद पटेल, औषधालय अधीक्षक से मो0–7974758826** पर तथा तकनीकी सहायता **हेतु एम.पी. आनलाईन की आयुष हेल्पलाईन कमांक–0755–6720206 एवं कार्यालय दूरभाष कमांक– 0755–2571643** पर संपर्क किया जावें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

05/05/2022

(डॉ.एम. फारूक)
उप संचालक
संचालनालय आयुष मध्यप्रदेश